कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Phone / Fax No–01372252149 Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांकः– 1531 / 12–1 गोपेश्वर, दिनांक 6/10/2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
देहरादून।

द्वाराः– निदेशक / वन संरक्षक, नन्दादेवी वायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर ।

विषयः– जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.005 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्याावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के कम में चाही गई सूचना प्रस्तावक विभाग द्वारा निम्नानुसार प्रेषित की गई हैः–

क0स0	प्रश्न	उत्तर
1	राज्य शासन यह स्पष्ट रूप से सूचित करें कि प्रस्तावित 0.005 है0 वन क्षेत्र में कितना क्षेत्र wildlife Sanctuary के अन्तर्गत स्थिति है तथा उस पर समस्त क्षेत्र की स्वीकृति नियमानुसार NBWL से पास कर इस कार्यालय को प्रेषित करें।	उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.004 है0 वन भूमि के सापेक्ष 2.97 है0 क्षेत्र Wildlife Sanctuary के अन्तर्गत स्थित है। शेष 1.035 है0 क्षेत्रद सिविल राज्य वन भूमि में स्थित है अर्थात NBWL से प्राप्त 3.330 है0 की स्वीकृति के सापेक्ष 2.97 है0 भूमि में ही Wildlife Sanctuary के अन्तर्गत मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना है।।
2	इसके अतिरिक्त पूर्व Standing Committee of NBWL द्वारा इस शर्त पर स्वीकृति प्रदान की गई थी कि बुरांस एवं बांज के बडे वक्ष (40–50 cm dia) नहीं काटे जोयगे तथा तदनुसार Alignment को परिवर्तित किया जायेगा । राज्य शासन तदनुसार प्रस्ताव को पुनरीक्षित कर प्रस्तुत करें।	Standing Committee of NBWL द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार उक्त मोटर मार्ग पर (40–50 cm dia) या उससे अधिक व्यास वर्ग के बांज एवं बुसार प्रजाति के कुल 9 वृक्षों के स्थान पर स्थल की आवश्यकता के अनुसार पेड के पहाडी भाग में पहाड कटान कर या पेड के घाटी के तरफ दीवाल निम्रण कर मोटर मार्ग का निर्माण किया जायेग, ताकि (40.50 cm dia) के बांज एवं बुराश के प्रजाति के वृक्षों को कोई क्षति न हो।

सुलभ संदर्भ हेतु अधिशाासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 ऊखीमठ के पत्रांक 3081 / 13 सी दिनांक 29–09–2020 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करे।

भवदीय,

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग-ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)
Office of the Executive Engineer, C.D, P.W.D. Ukhimath

उत्तराखण्ड शासन

E-Mail: ukhimathpwd@yahoo.in
Phone & Fax:- 01364-284239

पत्रांक 3081/13 C

Date 29/09/2020

सेवा में,

उपवन संरक्षक,
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गौपेश्वर।

विषयः- जनपद–रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्ड़ार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.005 है० वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

सन्दर्भः- भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/20/2018/एफ.सी./983 दिनाँक 17-08-2020

प्रपोजल सं०:-FP/UK/ROAD/23612/2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर लगायी गयी ऑनलाईन आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत् कर दिया गया है:-

Sl.No	Objections	Clarifications
1	राज्य शासन यह स्पष्ट रूप से सूचित करें कि प्रस्तावित 4.005 है0 वनक्षेत्र में से कितना क्षेत्र Wildlife Sanctuary के अन्तर्गत स्थित है तथा उस समस्त क्षेत्र की स्वीकृति नियमानुसार NBWL से प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित करें।	उक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.005 है० वनभूमि के सापेक्ष 2.970 है० क्षेत्र Wildlife Sanctuary के अन्तर्गत स्थित है, शेष 1.035 है० क्षेत्र सिविल राज्य भूमि में स्थित है अर्थात NBWL से प्राप्त 3.330 है० की स्वीकृति के सापेक्ष 2.970 है0 में ही Wildlife Sanctuary के अन्तर्गत मोटर निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।
2	इसके अतिरिक्त पूर्व में Standing Committee of NBWL द्वारा इस शर्त पर स्वीकृति प्रदान की गयी थी कि बुराँश एंव बाँज के बड़े वृक्ष (40–50 cm dia) नही काटे जायेंगे तथा तदनुसार Alignment को परिवर्तित किया जायेगा। राज्य शासन तदनुसार प्रस्ताव को पुनरीक्षित कर प्रस्तुत करें।	Standing Committee of NBWL द्वारा दी गयी स्वीकृति के अनुसार उक्त मोटर मार्ग पर (40–50 cm dia) या उससे अधिक व्यास के बाँज एंव बुराँस प्रजाति के कुल 9 वृक्षों के स्थान पर स्थल की आवश्यकतानुसार पेड़ के पहाड़ी भाग मे पहाड़ कटान कर या पेड़ के घाटी के तरफ दीवार निर्माण कर मोटर मार्ग का निर्माण ~~[illegible]~~ किया जायेगा, ताकि (40–50 cm dia) या उससे अधिक व्यास के बाँज एंव बुराँस प्रजाति के वृक्षों को कोई क्षति न पँहुचे।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त प्रस्ताव पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

29/09/2020

(इं० मनोज कुमार भट्ट)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग)
29/09/2020

पत्रांक 3081/13 C

Date 29/09/2020

प्रतिलिपिः- जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग)
29/09/20